अध्याय 1

प्रस्तावना

1.1 इस प्रतिवेदन के सम्बन्ध में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन, राज्य के आर्थिक क्षेत्र में सम्मिलित सरकारी विभागों एवं स्वायत्त निकायों के निष्पादन लेखा परीक्षा एवं संव्यवहारों की अनुपालन लेखापरीक्षा से प्रकटित प्रकरणों से सम्बन्धित है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 बजट रूपरेखा, लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन तथा लेखा परीक्षा के प्रति सरकार की प्रतिक्रियात्मकता का उल्लेख करता है। इस प्रतिवेदन का अध्याय 2, दो निष्पादन लेखा परीक्षा तथा दो दीर्घ प्रस्तर के प्रेक्षणों से सम्बन्धित है। अध्याय 3 विभिन्न विभागों एवं स्वायत्त निकायों के अनुपालन लेखापरीक्षा के प्रेक्षणों से सम्बन्धित है।

1.2 बजट की रूपरेखा

राज्य के आर्थिक क्षेत्र में 18 विभाग एवं 73 स्वायत्त निकायें हैं जो महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ की लेखा परीक्षा परिधि में आते हैं। 2010–11 से 2014–15 के दौरान राज्य सरकार के बजट अनुमान की स्थिति तालिका 1.1 में दी गयी है।

तालिका 1.1: 2010–15 के दौरान राज्य सरकार के बजट एवं व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11		2011-12		2012-13		2013-14		2014-15	
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान	वास्तविक
राजस्व व्यय										
सामान्य सेवाएँ	48,363.47	48,019.17	52,787.37	52,946.91	62,175.69	59,906.72	66,342.70	61,983.49	74,325.18	64,305.72
समाजिक सेवाएँ	42,120.28	39,566.70	51,259.27	47,390.94	59,081.49	53,300.32	66,219.05	60,756.28	75,478.78	60,905.79
आर्थिक सेवाएँ	16,147.57	15,725.03	20,290.65	18,292.00	23,639.78	21,337.36	25,552.71	25,710.71	36,582.54	34,885.24
सहायता अनुदान एंव अंशदान	4,434.89	4364.71	5,308.25	5,255.10	6,244.67	6,179.24	9,777.74	9,696.38	11,038.38	10,930.57
योग (1)	1,11,066.21	1,07,675.60	1,29,645.54	1,23,884.95	1,51,141.63	1,40,723.64	1,67,892.20	1,58,146.86	1,97,424.88	1,71,027.32
पूँजीगत व्यय										
पूँजीगत परिव्यय	22,942.96	20,272.80	25,959.73	21,573.96	26,978.26	23,834.29	32,767.40	32,862.60	55,986.16	53,297.27
संवितरित ऋण एवं अग्रिम	1,025.26	968.22	1,240.15	975.57	1,324.78	1,003.24	1,953.73	1,473.34	1,909.67	1,872.64
लोक ऋण का प्रतिदान	18,164.95	7,383.08	18,356.25	8,287.61	18,843.96	8,909.04	18,587.86	8,166.74	19,383.88	9,411.21
आकस्मिक निधि	0.00	39.90	87.65	309.64	0.00	262.45	0.00	86.55	0.00	203.15
लोक लेखा संवितरण	2,33,621.79	1,17,472.99	2,41,622.91	1,30,970.76	2,64,609.27	1,29,471.51	2,84,702.18	4,49,188.03	3,29,518.75	4,77,981.08
अंतिम रोकड़ शेष	--	10,304.99	--	13,446.70	--	15,172.42	--	4,020.63	--	(356.12)
योग (2)	2,75,754.96	1,56,441.98	2,87,266.69	1,75,564.24	3,11,756.27	1,78,652.95	3,38,011.17	4,95,797.89	4,06,798.46	5,42,409.23
सकल योग	3,86,821.17	2,64,117.59	4,16,912.23	2,99,449.19	4,62,897.90	3,19,376.59	5,05,903.37	6,53,944.75	6,04,223.34	7,13,436.55

*(**स्रोत** : सम्बन्धित वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)*

1.3 राज्य सरकार के संसाधनों का अनुप्रयोग

₹ 2,55,320.71 करोड़ के कुल बजट परिव्यय के विरूद्ध ₹ 2,26,197.23 करोड़ का कुल व्यय[1] हुआ। 2014–15 में राज्य का कुल व्यय ₹ 1,92,482.80 करोड़ (2013–14) से बढ़कर ₹ 2,26,197.23 करोड़ (17.52 प्रतिशत) तक हो गया, 2014–15 में राजस्व व्यय भी ₹ 1,58,146.86 करोड़ (2013–14) से बढ़कर ₹ 1,71,027.32 करोड़ (8.14 प्रतिशत) तक हो गया। 2014–15 में गैर–योजनागत राजस्व व्यय 86,636.08 करोड़ (2010–11) से बढ़कर ₹ 1,37,764.88 करोड़ (59.01 प्रतिशत) हो गया तथा 2010–15 की अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय ₹ 20,272.80 करोड़ (2010–11) से बढ़कर 2014–15 में ₹ 53,297.27 करोड़ तक (162.90 प्रतिशत) हो गया।

वर्ष 2010–15 के दौरान कुल व्यय का 24 से 46 प्रतिशत हिस्सा राजस्व व्यय का था एवं पूँजीगत व्यय[2] 54 से 76 प्रतिशत था। इस अवधि के दौरान कुल व्यय 14 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा जबकि 2010–15 के दौरान राजस्व प्राप्तियाँ 15 प्रतिशत औसत वार्षिक दर से बढ़ीं।

1.4 सतत् बचतें

पिछले पाँच वर्षों में 18 मामलों में, प्रत्येक वर्ष ₹ एक करोड़ से अधिक की सतत् बचतें हुयी जैसा कि तालिका 1.2 में वर्णित है:

तालिका 1.2 : 2010–15 के दौरान सतत् बचतों वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान के नाम एवं संख्या	बचत की राशि				
		2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व दत्तमत						
1	**11 :** कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	217.67	766.37	644.92	596.10	425.39
2	**15:** कृषि एवं अन्य सम्बंद्ध विभाग (पशुपालन)	20.15	34.21	23.06	662.21	54.12
3	**32:** चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	203.62	145.70	403.79	471.33	672.14
4	**37:** नगरीय विकास विभाग	711.79	625.51	238.51	654.69	2762.12
5	**42:** न्यायिक विभाग	230.59	172.36	178.52	223.31	330.65
6	**48:** अल्प संख्यक कल्याण विभाग	272.00	13.69	104.26	201.19	815.40
7	**54:** लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	396.56	238.54	681.45	1,041.27	1265.68
8	**61:** वित्त विभाग (ऋण सेवाएँ एवं अन्य व्यय)	77.26	59.73	65.45	87.57	109.64
9	**73:** शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	571.89	745.76	816.09	348.28	422.39
10	**83:** समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना)	110.33	792.46	1762.10	1,315.74	2509.94
	योग	**2,811.86**	**3,594.33**	**4,918.15**	**5,601.69**	**9367.47**
पूँजीगत दत्तमत						
1	**11:** कृषि एवं अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	50.30	100.86	177.73	470.53	286.17
2	**21:** खाद्य एवं जन आपूर्ति विभाग	3963.00	1811.78	1039.49	4,646.82	2192.04
3	**32:** चिकित्सा विभाग (एलोपैथी)	39.30	147.14	230.68	283.83	93.86
4	**37:** नगरीय विकास विभाग	687.12	261.77	737.99	369.91	21.86
5	**42:** न्यायिक विभाग	96.09	78.43	21.23	336.17	153.89
6	**48:** अल्प संख्यक कल्याण विभाग	165.56	373.36	164.73	148.22	640.44
7	**73:** शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	27.27	19.28	123.76	185.35	69.77
8	**83:** समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों हेतु विशेष घटक योजना)	103.62	415.46	588.84	524.04	1634.76
	योग	**5,132.26**	**3,208.07**	**3,084.45**	**6,964.87**	**5092.79**

***(स्रोतः** सम्बन्धित वर्षों के विनियोजन खाते)*

[1] कुल व्यय में राजस्व व्यय, पूँजीगत परिव्यय एवं संवितरित ऋण तथा अग्रिम शामिल है।

[2] अन्तिम रोकड़ शेष को छोड़कर।

1.5 भारत सरकार द्वारा निर्गत सहायता अनुदान

वर्ष 2010–11 से 2014–15 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तालिका 1.3 में दर्शाए गए है:

तालिका 1.3: भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
गैर–योजना अनुदान	3,092.99	4,396.73	4,341.00	7,933.79	6808.88
राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान	6,772.07	6,813.28	5,518.39	6,595.22	6576.02
केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान	5,568.59	6,549.89	7,478.40	225.90	17.37
केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित स्कीमों के लिए अनुदान	0.00	0.00	0.00	7,650.26	19289.20
योग	**15,433.65**	**17,759.90**	**17,337.79**	**22,405.17**	**32691.47**
पूर्व वर्ष से प्रतिशत वृद्धि/(कमी)	(-10)	15	(-2)	29.23	45.91
राजस्व प्राप्ति की प्रतिशतता	14	14	12	13.32	16.90

***(स्रोत:** सम्बन्धित वर्ष के वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य बजट के स्पष्टीकरण ज्ञापन)*

1.6 लेखा परीक्षा की योजना एवं सम्पादन

लेखा परीक्षा प्रक्रिया विभिन्न विभागों, स्वायत्त निकायों, योजनाओं/परियोजनाओं आदि का उनके क्रियात्मक जटिलता, प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों का स्तर, आंतरिक नियंत्रण तथा हिस्सेदारों की चिंताओं एवं पिछले लेखा परीक्षा परिणामों के आधार पर जोखिम आकलन के साथ शुरू होती है। इस जोखिम आकलन के आधार पर लेखा परीक्षा की बारम्बारता तथा सीमा तय की जाती है तथा एक वार्षिक लेखा परीक्षा योजना तैयार की जाती है।

लेखा परीक्षा की समाप्ति के बाद, लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को निरीक्षण प्रतिवेदन में संकलित कर कार्यालय प्रमुख को इस अनुरोध के साथ निर्गत किया जाता है कि इसके उत्तर एक महीने के अंदर प्रेषित किये जाये। जब भी उत्तर प्राप्त होते है, लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को या तो निस्तारित कर दिया जाता है या पुनः अनुपालन की कार्यवाही के लिए परामर्श दिया जाता है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाये गये महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा प्रेक्षणों को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में समावेश के लिए कार्यवाही की जाती है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है।

वर्ष 2014–15 में कार्यालय, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य के 18 विभागों तथा 73 स्वायत्त निकायों से सम्बन्धित 359 इकाइयों में से 111 इकाइयों का अनुपालन लेखा परीक्षा किया गया, साथ ही दो निष्पादन लेखा परीक्षा तथा दो दीर्घ प्रस्तर के लिए लेखापरीक्षा भी किया गया।

1.7 निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति सरकार की उदासीनता

महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) लेन–देनों के नमूना जाँच द्वारा सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों का आवधिक निरीक्षण करते है एवं महत्वपूर्ण लेखा–सम्बंधी एवं अन्य दस्तावेज/अभिलेख के निर्धारित नियमों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार रख–रखाव की पुष्टि करते हैं। इन निरीक्षणों के बाद लेखा परीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किए जाते हैं। जब लेखा परीक्षा निरीक्षण के दौरान महत्वपूर्ण अनियमितताओं का पता लगने पर यदि कार्य स्थल पर निस्तारण नहीं हो पाता है तो ये नि.प्र. लेखापरीक्षित कार्यालय के प्रमुख को जारी किया जाता है एवं प्रतिलिपि अगले उच्चाधिकारियों को भेजी जाती है। कार्यालय प्रमुखों एवं अगले उच्चाधिकारीयों को

अपने अनुपालन, महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखा परीक्षा) को इन नि.प्र. की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर देना होता है।

2014–15 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की आठ बैठकें हुई जिनमें 49 प्रस्तरों का निस्तारण किया गया।

मार्च 2015[3] तक 18 विभागों एवं 73 स्वायत्त निकायों को जारी निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से पता चलता है कि 31 मार्च 2015 तक 1,195 नि.प्र. से सम्बन्धित लगभग ₹ 53,468.58 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 4,276 प्रस्तर लम्बित थे। इसमें से पुराने मामले 2007–08 से 2009–10 में निर्गत किये गये 495 नि.प्र. से सम्बन्धित थे तथा 1,620 प्रस्तर जिनका वित्तीय प्रभाव ₹ 31,263.85 करोड़ था, पाँच वर्ष से अधिक समय से निस्तारित नहीं किये गये थे। इन 1,195 नि.प्र. एवं 4,276 प्रस्तर के लम्बित मामलों का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट 1.1** में दिया गया है।

निरीक्षण प्रतिवेदनों में शामिल प्रेक्षणों पर विभागीय अधिकारी समयबद्ध कार्यवाही करने में असफल रहे जिससे जवाबदेही का अपरदन हुआ।

सरकार को सुझाव है कि वह मामले को देखें ताकि लेखा परीक्षा प्रेक्षणों पर तत्काल एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित हो सके।

1.8 महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा अवलोकनों (प्रस्तरों/समीक्षाएँ) पर सरकार की प्रतिक्रिया

विगत कुछ वर्षों में, चयनित विभागों के विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियों के कार्यान्वयन एवं आंतरिक नियंत्रण की गुणवत्ता में कमी, जो कार्यक्रमों की सफलता एवं विभागों के कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है, पर लेखा परीक्षा ने अपना प्रतिवेदन दिया है। विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखा परीक्षा कार्यपालिका को सुधारात्मक कार्यवाहीं एवं नागरिकों के सेवा प्रदेयता को सुधारने के लिए उपयुक्त अनुशंसाएँ प्रदान करने पर केन्द्रित था।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा एवं लेखा विनियम, 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को, भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में शामिल होने के लिए प्रस्तावित ड्राफ्ट निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन/प्रस्तरों पर अपना प्रतिउत्तर एक महीने के भीतर भेजना होता है। यह उनके व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल में प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में इस प्रकार के प्रस्तरों को शामिल करने की संभाव्यता के दृष्टिकोण से इन मामलों में उनकी टिप्पणी शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें महालेखाकार (ई एण्ड आरएसए) के साथ निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं लेखा परीक्षा प्रस्तर पर विचार विमर्श के लिए बैठक करने की सलाह भी दी गयी। प्रतिवेदन में शामिल करने के लिए प्रस्तावित इन प्रतिवेदनों एंव प्रस्तरों को सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को उनके जवाब के लिए अग्रसारित भी किया गया। वर्तमान लेखा परीक्षा प्रतिवदेन के लिए सम्बन्धित प्रशासनिक सचिवों को दो निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन एवं छः प्रस्तरों (दो दीर्घ प्रस्तर भी शामिल) को अग्रसारित किया गया लेकिन केवल चार मामलों पर सरकार के उत्तर प्राप्त हुए हैं।

1.9 लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों का अनुसरण

लोक लेखा समिति के आंतरिक कार्य–प्रणाली नियमों के अनुसार प्रशासनिक विभागों द्वारा नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल सभी प्रस्तर एवं समीक्षाओं पर स्वःविवेक से कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना था चाहे इसे लोक लेखा समिति द्वारा संपरीक्षा के लिये लिया गया हो अथवा नहीं। राज्य विधान सभा के समक्ष लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के प्रस्तुतीकरण के तीन माह के भीतर उन पर किए गये

[3] 30 सितम्बर 2014 तक निर्गत 1,134 नि.प्र. से सम्बंधित ₹ 51,167.33 करोड़ के वित्तीय प्रभाव के 4,050 प्रस्तर जो 31 मार्च 2015 को लम्बित थे, सम्मिलित है।

सुधारात्मक कार्यवाही या किये जाने वाले प्रस्तावित कार्यवाही को इंगित करते हुए लेखा परीक्षा द्वारा उचित जाँचोपरान्त विस्तृत टिप्पणी भी उनके द्वारा प्रस्तुत की जानी थी।

31 मार्च 2015 तक की अवधि में लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों के संबंध में 31 सितम्बर 2015 तक प्राप्त व्याख्यात्मक टिप्पणियों (एटीएन) की स्थिति तालिका 1.4 में दी गयी है:

तालिका 1.4: लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल प्रस्तरों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों के प्राप्त होने की स्थिति

लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष	विभाग	31 अगस्त 2015 तक लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ	प्रस्तुतीकरण की तिथि	व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त करने की निर्धारित तिथि
आर्थिक क्षेत्र (गैर–पीएसयू)	2012–13	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	आंशिक	1 जुलाई 2014	31 अक्टूबर 2014
आर्थिक क्षेत्र (गैर–पीएसयू)	2013–14	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	प्राप्त नहीं	17 अगस्त 2015	18 अक्टूबर 2015
		सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग	प्राप्त नहीं		
		वन विभाग	प्राप्त नहीं		
		ऊर्जा विभाग	प्राप्त नहीं		

*(**स्रोत:** लेखा परीक्षा प्रतिवेदन 2012–13 एवं 2013–14, आर्थिक क्षेत्र.–गैर पीएसयू)*

1.10 लेखा परीक्षा के दृष्टान्त की गई वसूली

औचित्य लेखा परीक्षा के दौरान विभिन्न विभागों/स्वायत्त निकायों पर 62 प्रकरणों में ₹ 20.92 करोड़ की बतायी गयी वसूली स्वीकार कर ली गयी। जिनमें से 23 प्रकरणों में ₹ 8.65 करोड़ की वसूली 2014–15 में कर ली गयी जैसा कि तालिका 1.5 में नीचे वर्णित है।

तालिका 1.5: लेखा परीक्षा द्वारा इंगित वसूली तथा विभाग द्वारा स्वीकार/वसूल कर लिया गया

(₹करोड़ में)

विभाग	वसूली का विवरण	2014–15 के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा इंगित वसूली तथा विभाग द्वारा स्वीकृत की गई		2014–15 के दौरान प्रभावी वसूली	
		प्रकरणों की संख्या	समाहित धनराशि	प्रकरणों की संख्या	समाहित धनराशि
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग	**विविध**	5	8.36	––	––
वन विभाग	**विविध**	31	8.75	23	8.65
उद्योग निदेशालय	**विविध**	24	2.13	––	––
अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग	**विविध**	2	1.68	––	––
	योग	**62**	**20.92**	**23**	**8.65**

*(**स्रोत:** प्रगति रजिस्टर के अनुसार)*

1.11 राज्य विधान सभा में स्वायत्त निकायों के लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन के प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य सरकार द्वारा कई स्वायत्त निकायों का गठन किया गया है। इन निकायों में से अधिकतर निकायों के लेन–देन, परिचालन सम्बन्धी गतिविधि एवं लेखे, नियामक अनुपालन लेखा परीक्षा, आंतरिक प्रबंधन की समीक्षा, वित्तीय नियंत्रण एवं पद्धति तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा इत्यादि के सत्यापन के लिए भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा किया जाता है। राज्य में दो स्वायत्त निकायों के लेखाओं के लेखा

परीक्षा का कार्य भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक को सौंपा गया है। लेखा परीक्षा सौंपने की स्थिति, लेखा परीक्षा हेतु लेखाओं का समर्पण, पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन तथा राज्य विधानमण्डल में इसका प्रस्तुतिकरण **परिशिष्ट 1.2** में दिया गया है।

एक स्वायत्त निकाय (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड) के वर्ष 2011–12 तथा 2012–13 एवं एक अन्य स्वायत्त निकाय (उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग) के लिए वर्ष 2003–04 से 2013–14 की अवधि के लिए पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर) निर्गत किया गया जो अभी भी राज्य विधान मंडल में प्रस्तुत किया जाना है **(परिशिष्ट 1.2)**। इन्हें अतिशीघ्र राज्य विधान मंडल के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2013–14 (खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड) तथा वर्ष 2014–15 (उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग) की अवधि के एसएआर, लेखे विलम्ब से प्राप्त होने के कारण, निर्गत नहीं किये गये हैं।